



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— जनपद बिजनौर

दिनांक 30.07.2025

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में थाना मण्डावली एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस के आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास व कुल 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही: —

दिनांक 15.03.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभियुक्त आरिफ पुत्र नवाब निवासी ग्राम श्यामीवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को 50 पुडिया स्मैक (वजन करीब 50 ग्राम) सहित गिरफ्तार किया गया था। जिसके संबंध में थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 35/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुये आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 30.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे-03/एनडीपीएस एक्ट द्वारा अभियुक्त आरिफ पुत्र नवाब निवासी ग्राम श्यामीवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग में 04 वर्ष के कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:—

1— आरिफ पुत्र नवाब निवासी ग्राम श्यामीवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नूरपुर**

दिनांक 30.07.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये 03 बैटरी व 01 अल्टरनेटर सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18.07.2025 को वादी श्री गोपाल शर्मा पुत्र झब्बा लाल शर्मा निवासी मौ० रामनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर अज्ञात चोरो द्वारा वादी तथा पड़ोसी रामसिंह के घर के बाहर खड़े जनरेटर चोरी कर लेने के संबंध में थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 243/25 धारा 305क बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

दिनांक 29.07.2025 को वादी श्री शफीक अहमद पुत्र हाजी शौकीन निवासी मौ० हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने अभियुक्तगण 1.कफील अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार 2.इकबाल पुत्र मुस्ताक अहमद निवासीगण मौ० हजरत नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 3.मोहसीन पुत्र मौ० अफजाल निवासी मौ० रविदास नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के मुर्गी फार्म से 03 बैटरी व 01 इन्वर्टर चोरी कर लेने के संबंध में थाना नूरपुर पर मु०अ०सं० 258/25 धारा 305क बीएनएस पंजीकृत कराया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 30.07.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.कफील अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार 2.इकबाल पुत्र मुस्ताक अहमद निवासीगण मौ० हजरत नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी 03 बैटरी, 01 अल्टरनेटर व घटना में प्रयुक्त एक ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

बरामद की गयी 03 बैटरी उपरोक्त मु०अ०सं० 243/25 से संबंधित है तथा 01 अल्टरनेटर उपरोक्त मु०अ०सं० 258/25 से संबंधित है। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) की वृद्धि की गयी तथा ई-रिक्शा को अन्तर्गत धारा 207 एम०वी० एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

- 1.कफील अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ० हजरत नगर कस्बा व थाना नूरपुर बिजनौर
- 2.इकबाल पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी मौ० हजरत नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण—

- 1— 03 बैटरी (मु0अ0सं0 243 / 25 धारा 305क बीएनएस से संबंधित)
- 2— 01 अल्टरनेटर (मु0अ0सं0 250 / 25 धारा 305क बीएनएस से संबंधित)
- 3—एक ई—रिक्शा (यूपी20बीटी0960)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इकबाल—

1. मु0अ0सं0 243 / 2025 धारा 305(क) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 258 / 2025 धारा 305(क) / 317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कफील—

1. मु0अ0सं0 243 / 2025 धारा 305(क) / 317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 258 / 2025 धारा 305(क) / 317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी 498 मनोज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी 529 नरेश कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.आरक्षी 11 गौरव तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक - 30.07.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.07.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शेरकोट	अनिल पुत्र फूल सिंह निवासी मौ० निकम्माशाह कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2	शेरकोट	रिक्की पुत्र फूल सिंह निवासी मौ० निकम्माशाह कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3	शेरकोट	सुमित पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम धुराडा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4	अफजलगढ	नरेश पुत्र सूरज सिंह नि० ग्राम अदलपुर थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
5	नगीना देहात	मुस्तकीम पुत्र यासीन नि० ग्राम रायपुर सादात थाना नगीना देहात बिजनौर





**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नगीना**

दिनांक 30.07.2025

थाना नगीना पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 29.07.2025 को थाना नगीना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त मौ० शावेज पुत्र हसीनुद्दीन निवासी मौ० कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को चोरी की मोटरसाइकिल सूपर स्पलेण्डर (यूपी 20एडी4526) सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नगीना पर मु०अ०सं० 146/25 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उक्त मोटरसाइकिल उसने करीब 02 वर्ष पूर्व मंदिना मस्जिद धामपुर से चोरी की थी, जिस संबंध में थाना धामपुर पर मु०अ०सं० 138/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.मौ० शावेज पुत्र हसीनुद्दीन निवासी मौ० कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

1— सूपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल (यूपी 20एडी4526)

आपराधिक इतिहास—

1—मु०अ०सं० 138/23 धारा 379 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2—मु०अ०सं० 146/25 धारा 317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1.उ०नि० सोहन सिंह पुण्डीर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 1886 अमित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 2541 प्रेमचन्द थाना नगीना जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी 2243 संदीप कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 30.07.2025

थाना मंडावर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की 04 साइकिल व विद्युत मोटर की तार सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.07.2025 को वादी श्री राकेश गोयल पुत्र वी0सी0 गोयल निवासी कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि रात्रि के समय किसी अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के खेत ग्राम मोहिउद्दीनपुर में कुँए से बिजली की मोटर चोरी कर ली । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 151/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 29.07.2025 को वादी मौ0 शाहबाज पुत्र स्व0 हफीज अहमद निवास मौहल्ला शम्भा बाजार कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर से साइकिल चोरी कर ली है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 161/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोगों में अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 30.07.2025 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 161/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 साइकिल व 03 साइकिल अन्य चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित तथा मु0अ0सं0 151/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित पीली धातु का तार वजन (करीब 01 किलो) बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नरेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी की 04 साइकिल
मोटर की तार

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 161/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

मु0अ0सं0 151/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

मु0अ0सं0 541/16 धारा 354/323/504 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 कुलवीर सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
2. कां0 101 सुमित पंवार थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. कां0 2334 भुषण कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 30.07.2025

थाना नहतौर पुलिस ने मु0अ0सं0 186/2025 धारा 137(2) / 65(1) बी.एन.एस. व ¾ पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.07.2025 को वादी द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 12.07.2025 को वादी की 16 वर्षीय पुत्री पढने के लिये कॉलेज गयी थी, किन्तु घर वापस नहीं आयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 186/2025 धारा 137(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग से सम्बंधित अपहृता को सकुशल बरामद कर साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त अजय कुमार पुत्र जसपाल सिंह निवासी जाफर पुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 30.07.2025 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र जसपाल सिंह निवासी जाफरपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजय कुमार पुत्र जसपाल सिंह निवासी जाफरपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त अजय का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 186/2025 धारा 65(1)/137(2) बी.एन.एस. व ¾ पॉक्सो अधि0 थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थानाध्यक्ष श्री धीरज सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री अशोक मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 131 शरद पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर